न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

पन्नालाल पिता वालजी रोत मीणा, निवासी धाणी उपली वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. फतेहसिंह पिता भैरवसिंह जी राजपूत, निवासी वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
27–02–2018 प्रकरण सं. 01/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता वालजी वल्द रंगा होकर वादी के पितामह रंगा वल्द देवजी भील ग्राम वडदा उपली धाणी के होकर ग्राम वडदा की आराजी नंबर 1416 संवत् 2011 से 2018 में विपक्षी संख्या 1 के पिता भैरवसिंह के खाते में दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता क पिता रंगा जी इस भूमि के शिकमी उपकाश्तकार थे। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी नंबर 1416 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नंबर 1417 रकबा 7 बिस्वा भूमि के वर्तमान नंबर 1571 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बने, जो विपक्षी के नाम दर्ज हुआ, जबकि शिकमी काश्तकार/उपकृषक प्रार्थी के पितामह रंगा जी के खाते दर्ज होनी चाहिए थी। संवत् 2011 से आज दिनांक तक कब्जा प्रार्थी का अपने पितामह के समय से चला आ रहा है, परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होने से वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतएवं निवेदन किया कि विवादित

आराजी नंबर 1571 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं विक्रय हस्तान्तरण नहीं करते हेतु विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि विपक्षी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, प्रार्थी अथवा उसके पिता व दादा का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, उनके शिकमी काश्तकार होने का कथन गलत है। विवादित आराजी नंबर 1571 से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मकान होने से प्रार्थी विपक्षी की खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद उनके द्वारा पेश शुदा साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 27–02–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–03–2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षप की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्यों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय को शिकमी काश्तकार के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक था। अधिनस्थ

न्यायालय ने पेश शुदा खसरा गिरदावरियों पर कोई गौर नहीं किया है, जबकि अपीलान्ट/प्रार्थी के शिकमी काश्तकार होने की प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थी।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रकट आया कि प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्टया केस का प्रश्न है, उसके द्वारा पेश शुदा मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 1416 रकबा 2 बीघा एवं 1417 रकबा 7 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 1571 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा बने हैं। साबिक आराजी नंबर 1416 में सिर्फ 1 वर्ष की खसरा गिरदावरी संवत् 2012 में प्रार्थी/अपीलान्ट के दादा रंगा वल्द देवजी अंकित है, किन्तु वह शिकमी काश्तकार के रूप में अंकित नहीं है तथा पेश शुदा खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2014 में सिर्फ 1 वर्ष में रंगा वल्द देवजी अंकित है तथा खातेदार के रूप में विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट के पिता भैरवसिंह अंकित है। सिर्फ एक खसरा गिरदावरी संवत् 2012 यानी सन् 1955 में ही अपीलान्ट/प्रार्थी के दादा रंगा का नाम दर्ज है, वह भी शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं है, तद्नुसार प्रथम दृष्टया स्वत्व इस स्तर पर अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना जा सकता। भूमि पर प्रार्थी अभी भी काबिज हो इस बाबत् भी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार समग्र रूप से स्वत्व एवं कब्जा प्रार्थी/अपीलान्ट का इस स्तर पर नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में नहीं रहते हैं। अधिनस्थ न्यायालय से उपलब्ध साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–02–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर